



2026:AHC-LKO:14976-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - सी संख्या - 1998 सन 2026**

जयंती सिंह

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव वन लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार सिंह**प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :** मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शैलेंद्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय****माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. अधिवक्ता श्री नमित शर्मा ने लखनऊ नगर निगम की ओर से वकालतनामा दाखिल कर उपस्थिति दर्ज की है।
2. सुनवाई हुई।
3. याचिकाकर्ता लखनऊ के तकरोही स्थित विवेकानंद कॉलोनी, मकान संख्या 350 खा के सामने स्थित गूलर के पेड़ को हटवाना चाहता है।
4. नगर निगम के अधिवक्ता का कहना है कि नगर निगम को पेड़ काटने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह निजी भूमि पर स्थित है, जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि यह आंशिक रूप से सड़क की भूमि और आंशिक रूप से निजी भूमि पर है।
5. नगर निगम के अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का हवाला दिया है, जिसके तहत संभागीय वन अधिकारी पूर्व-शर्तों के पूरा होने पर ऐसी याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम है।
6. नगर निगम तथ्यों का सत्यापन करवाए और यदि तथ्य हमारे समक्ष बताए गए अनुसार सही पाए जाते हैं, तो याचिकाकर्ता को सूचित करे, जिसके बाद याचिकाकर्ता निर्धारित उपायों का पालन करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. निस्तारित किया गया।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

फ़रवरी 24, 2026 एमवीएस/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।